11/संख्या-1290(1)/11-क0नि0-7-2014-700(493)/2014

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
सहायक महानिरीक्षक,
निबंधन,
सीतापुर।

कर एवं निबंधन अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक- 10 दिसम्बर, 2014

विषय:-औद्योगिक आस्थान सरायें मलुही सीतापुर रोड के शेड संख्या डी0-21 के विलेख पंजीकरण में वास्तविक मूल्य (सरकारी दर) पर स्टाम्प देयता के सम्बन्ध में।

महोदय,

श्री गोपाल अग्रवाल पुत्र स्व0 जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, मेसर्स आसन, 296, नई बस्ती, सीतापुर द्वारा इस आशय का प्रत्यावेदन (छायाप्रति संलग्न) प्रस्तुत किया गया है कि जिला उद्योग केन्द्र द्वारा शेड संख्या-डी0 21 श्री रतन लाल कात्यान को आवंटित किया गया था, जिसके विलेख जून, 1986 में पंजीकृत हुए थे। तत्पश्चात श्री रतन लाल कात्यान के पक्ष में प्रश्नगत आवंटित पट्टा विलेख तथा किराया क्रय विलेख निरस्त कर दिया गया तथा सम्बन्धित सम्पत्ति उत्तर प्रदेश शासन जिला उद्योग केन्द्र में पुन: निहित हो गयी। तत्क्रम में जिला उद्योग केन्द्र द्वारा इस सम्पत्ति को नये सिरे से आवंटन हेतु समाचार-पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी जिसके अनुसरण में उन्हें दिनांक 3.7.2014 को उक्त प्लाट/शेड को 99 वर्षों के लिए आवंटित किया गया है।

2. अधिसूचना संख्या- क0नि0/7-641-11-700(111)-2013 दिनांक 01 अगस्त, 2013 द्वारा सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी विभाग अथवा उनके नियंत्रणाधीन सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी संगठनों द्वारा अपनी परिसम्पत्ति को किसी व्यक्ति के पक्ष में विक्रय अथवा पट्टा किये जाने पर उस संस्था को देय प्रतिफल पर ही स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता निर्धारित की गयी है, बशर्ते इस विलेख का निष्पादन आवंटन की तिथि की से 06 माह के अन्दर करा लिया जाय। शासनादेश संख्या-क0नि0-5-172/11/2009-500(35)/2000, दिनांक 13 नवम्बर, 2009 द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित

http://sirasanadesh.up.nic.in

सर्किल दर के स्थान पर संस्था को वास्तविक देय प्रतिफल पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता मात्र प्रथम लिखत के सम्बन्ध में ही अनुमन्य की गयी है।

3. श्री गोपाल अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन से यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में यह सम्पत्ति नये सिरे से जिला उद्योग केन्द्र द्वारा श्री गोपाल अग्रवाल के पक्ष में आवंटित की गयी है तथा इसके प्रतिफल की समस्त धनराशि सरकारी विभाग को ही प्राप्त हुई है तथा इसमें कोई भी लेन-देन प्रथम आवंटी रतन लाल कात्यान इण्डस्ट्री एवं वर्तमान आवंटी के पक्ष में निहित नहीं है।

4. इस प्रकरण पर सम्यक् विचार करते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि उपरोक्त प्रस्तर के तथ्य ठीक हैं तो वर्तमान में जिला उद्योग केन्द्र द्वारा श्री गोपाल अग्रवाल के पक्ष में पट्टा विलेख को प्रथम लिखत मानते हुए तदनुसार अधिसूचना संख्या-क0नि0/7-641-11-700(111)-2013 दिनांक 01 अगस्त, 2013 के अनुरूप आवंटन के 06 माह के अन्दर विलेख के निष्पादन कराये जाने पर संस्था को देय प्रतिफल पर ही स्टाम्प शुल्क प्रभार्य किया जायेगा।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उप महानिरीक्षक/ सहायक महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस प्रकार के सभी प्रकरणों में उक्त प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
4. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र सीतापुर।
5. श्री गोपाल अग्रवाल पुत्र स्व0 जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, मेसर्स आसन, 296, नई बस्ती, सीतापुर।

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in